रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2004/आषाढ़ 24, 1926
No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2004/ASADHA 24, 1926

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 451(अ).— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा की (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र में पृष्ठ 1 से पृष्ठ 4 तक, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 26 अगस्त, 2003 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 685(अ) तारीख 26 अगस्त, 2003 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, एक सौ सत्ताइस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 27 अगस्त, 2003 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, केन्द्रीय सरकार, ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सत्रह दिन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट ख में कार्बोनेटीकृत जल से संबंधित मद क 01.01 में, पहले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क. 01.01 कार्बोनेटीकृत जल से दाब के अधीन कार्बनडाईआक्साइड से अंतरभरित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन पैक किए गए पेय जल के लिए विहित मानकों के अनुरूप जल अभिप्रेत है और उसमें निम्नलिखित अकेले या संयुक्त रूप से हो सकेंगे"।

[सं. पी. 15025/80/2003-पी एच (खाद्य)]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में सा.का.नि. 2106 तारीख 12 सितंबर, 1955 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 388(अ) तारीख 25-6-2004 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2004

G.S.R. 451(E).—Whereas draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, was published, as required by the Proviso to Sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), at pages 1 to 6 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 26th August, 2003 under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), Number GSR 685(E) dated the 26th August, 2003, inviting the objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of one hundred and twenty seven days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 27th August, 2003.

And whereas objections or suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (2nd Amendment) Rules, 2004.

   (2) They shall come into force after 90 days from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B in item A.01.01 relating to Carbonated Water for the first paragraph, the following shall be substituted, namely :—

   "**A.01.01 CARBONATED WATER** means water conforming to the standards prescribed for Packaged Drinking Water under Preventation of Food Adulteration Rules, 1955, impregnated with carbon dioxide under pressure and may contain any of the following singly or in combination".

[No. P. 15025/80/2003-PH(Food)]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.

Note :— The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India *vide* S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* No. G.S.R. 388(E) dated 25-6-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.